

Form no 111

फर्दे अहकाम
(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़
नवान- बलवंत वनाम सुरजाराम आनि
सं 68 आर.टी.ए राजस्व वाद संख्या- 53, / 2020

हुक्म या कार्यवाही मय अगिनिशिल्ला जज

फर्दे अहकाम की
हुक्म की मयिब
में जारी हुजा।

26.2.2020 अगिभाषक वादी के वकील श्री सुरेन्द्र सिहाग
द्वारा अर्न्तगत वाद-पत्र पेश किया गया। सरिस्ता
रिपोर्ट हो चुकी है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व
साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली
04.03.2020 दिनांक को पेश हो।

04.03.2020 वादी के अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 ता 8
की और से सुश्री सन्तोष पुनियां अधिवक्ता द्वारा
वकालतनामा पेश किया शामिल पत्रावली किया। वादी
एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वयं उपस्थित होकर
राजीनामा मय साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जो खुले
न्यायालय में पढ़ की सुनाये जानें पर उभयपक्ष द्वारा
स्वीकार किये जानें पर राजीनामा पर उभयपक्ष के
हस्ताक्षर करवाये गये उभयपक्ष की पहचान उनके
अधिवक्तागण द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक
किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं होनें से
वहस सुनी गई वहस पर मनन किया गया पत्रावली
का अवलोकन किया गया वाद अवलोकन वाद वादी
मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित
पाये जानें पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय
पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये
जानें के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमिल
दाखिल दपतर हो।

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक रजिस्टर
हनुमानगढ़

Handwritten signature

G. Byone

200
4/3/20

LTI
(सुरजाराम)

2/15/20

LTI (कृष्णा देवी)

LTI (गोविन्दा)

Scanned by CamScanner

